राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 2]   चौदहवीं विधान सभा के दूसरे सत्र का पहला दिवस   [संख्या : 1

शुक्रवार,

11 जुलाई, 2014

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

राष्ट्रीय गीत

वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।
सुजलाम् सुफलाम् मलयज शीतलाम्।
शस्य श्यामलाम् मातरम्। वन्दे मातरम्।
शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी।
फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनी।
सुहासिनी सुमधुर भाषिणी।
सुखदाम् वरदाम् मातरम्।
वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।

श्री अध्यक्ष: इस सत्र में आप सबका हृदय से स्वागत।

मुझे सदन को सूचित करना है कि ...(व्यवधान)

(श्री सुखराम विश्नोई, माननीय सदस्य का सदन कूप में आगमन व धरना)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, शोकाभिव्यक्ति के अन्दर इस प्रकार का आचरण तो उचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय प्रतिपक्ष के नेता, अपन आज यह सदन प्रारम्भ कर रहे हैं और सदन की समय-समय पर कई तरह की स्थापित परम्पराएं हैं। आज हमको शोकाभिव्यक्ति और कुछ औपचारिक कार्य करने हैं। मैं माननीय विधायक से विनम्र निवेदन करता हूं कि आपने अपनी बात कटारियाजी तक पहुंचा दी है और वे इस बात का नोट ले लेंगे। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपने स्थान पर पधारें।

मुझे सदन को सूचित करना है....(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय,..

एक माननीय सदस्य: आसन पैरों पर।

श्री अध्यक्ष: मैं बैठ गया, इसीलिए कि वे बोलें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): नियमों में आएं; नियम और प्रक्रिया के तहत नोटिस दें, सरकार जवाब देगी। सरकार जवाब देने के लिए तैयार है, अध्यक्ष महोदय। यह क्या बात है? शोकाभिव्यक्ति के अवसर पर! आप इतने वरिष्ठ माननीय सदस्य हैं।

श्री अध्यक्ष: आप भी विराजें और आप भी विराजें।

माननीय सदस्य, आप वरिष्ठ सदस्य हैं। देखिये, यह गम्भीर मसला है, जो आप स्वयं स्वीकार करते हैं और इस गम्भीर मसले का हम गम्भीरता के साथ ही निस्तारण करें, यहां पर बहस करके। उसके लिए आप नोटिस दीजिये, और किसी प्रक्रिया से उठाइये। मैं अभी आपको समय देने में असमर्थ हूं। (व्यवधान)

अनुपस्थिति अनुमति

तरुण राय कागा, श्री, को 11 जुलाई, 2014 से सत्रान्त तक

मुझे सदन को सूचित करना है कि श्री तरुण राय कागा, सदस्य विधान सभा ने शारीरिक अस्वस्थता के कारण दिनांक 11 जुलाई, 2014 से सत्रांत तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है। क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

सदस्य का त्याग-पत्र

ओम बिरला, श्री, बहादुर सिंह, श्री, संतोष अहलावत, श्रीमती, व सांवर लाल, श्री का सदन की सदस्यता से त्याग-पत्र

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि चौदहवीं राजस्थान विधान सभा में निर्वाचन क्षेत्र कोटा दक्षिण, जिला कोटा से निर्वाचित सदस्य, श्री ओम बिरला (विभाजन संख्या 20); निर्वाचन क्षेत्र वैर, जिला भरतपुर से निर्वाचित सदस्य, श्री बहादुर सिंह, (विभाजन संख्या 107); निर्वाचन क्षेत्र

(श्री अध्यक्ष)

सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं से निर्वाचित सदस्य, श्रीमती संतोष अहलावत (विभाजन संख्या 176); एवं निर्वाचन क्षेत्र नसीराबाद, जिला अजमेर से निर्वाचित सदस्य, श्री सांवर लाल (विभाजन संख्या 178); ने लोक सभा का सदस्य निर्वाचित होने के कारण प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 173 (2) के अन्तर्गत दिनांक 29 मई, 2014 को राजस्थान विधान सभा की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया है और इनके त्याग पत्र स्वीकार कर लिये गये हैं।

सदन की मेज पर पत्रादि। कार्यवाहक सचिव महोदय।

व्यवस्था का प्रश्न

छह महीने की अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी मंत्री बने रहने से सरकार की संवैधानिक स्थिति को खतरा

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को ध्यान दिलाना चाह रहा हूं कि सरकार जो बैठी है, यह सरकार आज की तारीख में अस्तित्व में नहीं है, संवैधानिक खतरा पैदा हो गया है। क्योंकि 8 दिसम्बर को राजस्थान विधान सभा का रिजल्ट आया, उसके बाद 13 दिसम्बर को मुख्य मंत्री साहिबा ने शपथ ली थी, उसके बाद में 20 दिसम्बर को श्री सांवर लालजी जाट ने भी शपथ ली थी। उस समय उन्होंने एम एल ए की शपथ नहीं ली थी, बगैर एम एल ए उन्होंने शपथ ली थी। संविधान यह कहता है कि 6 महीने तक कोई भी व्यक्ति मंत्री रह सकता है। इनके 6 महीने 20 जून को हो चुके हैं और आज भी वे मंत्री हैं। तो सरकार के लिए कहीं न कहीं उसमें असंवैधानिक खतरा है।

तो उसमें मैं यह व्यवस्था चाहता हूं। सरकार ने जो भी निर्णय लिया है, आज की तारीख में सरकार स्वत: ही अस्तित्व में है ही नहीं और मंत्री स्वत: ही 6 महीने के बाद में रह ही नहीं सकते।

श्री अध्यक्ष: माननीय प्रतिपक्ष के नेता, इस विषय में मैं माननीय अशोकजी गहलोत की राय जानना चाहूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, सरकार इस बात का उत्तर देने के लिए तैयार है, आप समय तय कर दें और मैं चाहूंगा कि ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: उस पर बहस हो जाएगी। (व्यवधान) यह विषय उठाना नहीं चाहिए था।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आज का समय उपयुक्त नहीं है। शोकाभिव्यक्ति के लिए आपने पुकार लिया। आज का समय उपयुक्त नहीं है, मंगलवार का समय तय कर दें, हम जवाब दे देंगे।

श्री अध्यक्ष: आज आपको यह विषय उठाना नहीं चाहिए था। आपने उठाया, मैंने परमिशन दी। इस विषय पर सरकार बहस करने को तैयार है। अपन तय कर लेंगे।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं, एक मिनट, एक और बात कह दूं। हमारे माननीय विधायक ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इनसे मैंने निवेदन कर दिया, आप भी निवेदन कर दो।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): एक मिनट और।

श्री अध्यक्ष: अच्छा, एक मिनट। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय गुलाबचन्दजी कटारिया भी होंगे। यह बात उन्होंने रखी थी, उस वक्त में दो रिपोर्ट आयी थीं। (व्यवधान) माननीय सदस्य तीन दिन से आमरण अनशन पर हैं। (व्यवधान) तीन दिन से आमरण अनशन पर बैठे हैं एक विधायक।

श्री अध्यक्ष: यह फिर आप बैक में जा रहे हैं। नहीं, मैं अलाउ नहीं करूंगा। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मैं अलाउ नहीं करूंगा। मैंने इनसे रिक्वेस्ट कर दी, आप भी रिक्वेस्ट कीजिये। मैं बहस अलाउ नहीं करूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, नियमों में आएं, सरकार जवाब देगी।

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ×××

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): ×××

श्री अध्यक्ष: आप एक बात सुन लीजिये। आज का दिन, आप तो बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं और आठवीं बार विधान सभा में आये हैं, आज का दिन शोकाभिव्यक्ति का दिन है। इसके बाद हमको शोकाभिव्यक्ति करनी है। तो आज इस तरह की बहस मैं अलाउ नहीं करूंगा। मैं आपसे कहूंगा कि अगर बिना अनुमति के आप कोई बोलेंगे तो अंकित नहीं होगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगला कार्यक्रम चालू रहने दीजिये।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री अध्यक्ष: आप विराजिये। आप स्थान ग्रहण कीजिये। आप हाथ जोड़ते हैं, तो मैं भी जोड़ लेता हूं। मैंने कहा कि अपन परसों ...(व्यवधान) आप भी हाथ जोड़ लो इनसे, मैंने भी हाथ जोड़ लिये हैं। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): ×××

श्री अध्यक्ष: मैं अलाउ नहीं करूंगा आपको। कोई अलाउ नहीं करूंगा। बैठिये। आप वरिष्ठ सदस्य हैं। अंकित नहीं हो। यह क्या मतलब है?

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): ×××

श्री अध्यक्ष: I will never throw you out. I will allow you to speak here and to take part in the discussion. You are a senior member.

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): ×××

श्री अध्यक्ष: नहीं, अहसान करते हैं हम। आप और हम आपस में एक दूसरे पर अहसान करते हैं। सदन की व्यवस्था करने के लिए, ठीक ढंग से चलाने के लिए, वरिष्ठ सदस्यों की राय के अनुसार, मुझे चलने देने के लिए...। आज का दिन नहीं है, राजाखेड़ा से आने वाले विधायक, मैं दो मिनट भी आज अलाउ नहीं करूंगा। I will not allow. आज की कार्यवाही इस हिसाब से चलेगी।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): ×××

श्री अध्यक्ष: किरोड़ी लालजी आप बैठिये। मैंने निवेदन कर दिया।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: मैंने निवेदन किया है, आज कार्यवाही को ...(व्यवधान) इस तरह बाधित न करके...। मैं माननीय सदस्य का बड़ा आदर करता हूं, आदरपूर्वक एक बार फिर निवेदन करता हूं कि आज की कार्यवाही को चलने दें। फिर किसी भी स्तर पर, कैसे भी, किसी भी प्रक्रिया में, इनके विषय पर ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: No. No. I have not allowed. I have not allowed. बैठिये आप। आप बैठिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

व्यवस्था

सत्ता पक्ष के 12 मंत्री उपस्थित हैं, अतः सरकार संवैधानिक स्थिति में है

श्री अध्यक्ष: 12 मंत्री यहां पर उपस्थित हैं। मैं यह रूलिंग देता हूं कि सत्ता पक्ष के इधर जो बैठे हैं, वे 12 मंत्री हैं और 12 मंत्री ही उपस्थित हैं। कोई संवैधानिक स्थिति पैदा नहीं होती। मेरी रूलिंग यह है। आपको मेरी रूलिंग पर ...(व्यवधान) आपको मेरी रूलिंग पर बाध्य होना पड़ेगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: अब आप बैठिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। (व्यवधान) मैं रूलिंग दे चुका हूं। सरकार संवैधानिक स्थिति में है, मैं यह रूलिंग दे चुका हूं। इस रूलिंग को यहां चैलेंज करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। बैठिये आप भी। क्या मतलब है? आज का दिन बेकार कर रहे हो। (व्यवधान) अच्छे वातावरण में हम सदन की कार्यवाही चालू करें।

विपक्ष के नेता, मैंने आपको दो-तीन बार अवसर दे दिया, अब मुझे कार्यवाही आगे बढ़ाने दीजिए, प्लीज। रिक्वेस्ट।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): ×××

श्री अध्यक्ष: अगर माननीय सदस्य की भावना है, आप अपना आमरण अनशन तोड़ दीजिए, आपके विषय पर यथा समय पर्याप्त चर्चा होगी।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): ×××

(माननीय सदस्य, श्री सुखराम विश्नोई द्वारा पुनः अपने स्थान पर प्रस्थान)

श्री अध्यक्ष: वरिष्ठ सदस्यों का सदन चलाने में यह योग होता है, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। राजाखेड़ा से आने वाले विधायक महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री अध्यक्ष: मैं कोई अलाउ नहीं करूंगा। वे उठ गए। अब आप इस बात को क्यों आगे बढ़ा रहे हैं? प्रतिपक्ष के नेता, आप विराजिये।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): ×××

श्री अध्यक्ष: वे यहां से उठ गए हैं। प्रतिपक्ष के नेता, आप विराजिए।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××.(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: वह कांस्टिटयूशन मैंने भी पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री अध्यक्ष: है। मैंने कह दिया, मैंने यह फैसला कर दिया कि सरकार अस्तित्व में है। इस रूलिंग को आप चैलेंज नहीं कर सकते।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): ×××

श्री अध्यक्ष: मैंने रूलिंग दे दी है कि सरकार है। (व्यवधान) आप जाना चाहें, जाइये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: मैं अलाउ नहीं करूंगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। ...(व्यवधान) आज की कार्यसूची, पहले दिन शोकाभिव्यक्ति का दिन है, हम अपने दिवंगत सदस्यों को शोकाभिव्यक्ति व्यक्त करना चाहते हैं। उसमें अपमानजनक तरीका विपक्ष के लोगों ने किया है, मैं इसकी निंदा करता हूं। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

सदन पटल पर रखे गये पत्र

कार्यकारी सचिव: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, गत सत्रों में पारित उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं, जिन पर राज्यपाल महोदया की अनुमति प्राप्त हो चुकी है अथवा अनुमति रोक ली गयी है :-

(अ) राज्यपाल महोदय द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक

1. कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2014;
2. राजस्थान सुनवाई का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2014;
3. माधव विश्वविद्यालय, पिंडवाड़ा (सिरोही) विधेयक, 2014;
4. आई.आई.एच.एम.आर. विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2014;...

श्री अध्यक्ष: ...(व्यवधान) कृपया शांत रहें।

कार्यकारी सचिव :... 5. राजस्थान माल (उत्पादन, प्रदाय, वितरण और व्यापार और वाणिज्य का नियंत्रण) विधेयक, 2014;

6. पेसिफिक चिकित्सा विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2014;
7. राजस्थान वन (संशोधन) विधेयक, 2014;
8. बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2014;
9. मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2014;
10. शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2014;
11. राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2014;एवं
12. राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या-2) विधेयक, 2014;

(ब) विधेयक जिस पर राज्यपाल महोदय द्वारा अनुमति रोक ली गयी है

राजस्थान कृषि उपज मण्डी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2013 (2013 का विधेयक संख्या-43)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान) हमने जो बात रखी थी ...(व्यवधान) और सरकार के नियम और कानून की हमने बात की ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: वह खतम हो गया चैप्टर। वह खतम हो गया था, प्रतिपक्ष के नेता। नहीं, बार-बार अलाउ नहीं कर सकता मैं। आपने तीन बार यह बात उठा दी है, मैं अलाउ नहीं करूंगा। आप स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ...(व्यवधान) हम इसकी निंदा करते हैं।

श्री अध्यक्ष: आप जितनी निंदा करना चाहो, करो, मैं अलाउ नहीं करूंगा। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए, मैं अलाउ नहीं करूंगा। चैप्टर खतम कर दिया हमारे राजाखेड़ा से आने वाले माननीय विधायक ने। सहृदयता से, सज्जनता से वह चैप्टर खतम हो गया। (व्यवधान) आप बैठिये। आप स्थान ग्रहण कीजिए। आप स्थान ग्रहण कीजिए। आप स्थान ग्रहण कीजिए। आप स्थान ग्रहण कीजिए। आप स्थान ग्रहण कीजिए। दुराग्रह मत कीजिए। सारे सदन की कार्यवाही को मत रोकिये। दुराग्रह मत कीजिए। बैठ जाइये आप भी। (व्यवधान)

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के अवसर पर मैं गत दिनों दिवंगत हुए इस विधान सभा के पूर्व अध्यक्ष, श्री समर्थलाल मीणा; आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री, डा. एन. जनार्दन रेड्डी; केन्द्रीय मंत्री, श्री गोपीनाथ मुण्डे एवं श्री भुवनेश चतुर्वेदी; राजस्थान के पूर्व मंत्री; श्री गंगाराम चौधरी, इस विधान सभा के पूर्व सदस्य, श्री रूपाराम डूडी, श्री जितेन्द्र निनामा, श्री हीरालाल आर्य, श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत, श्री बंशीलाल सारस्वत, श्री लादूराम सुलानिया एवं श्री रामनारायण वर्मा के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

समर्थलाल मीणा, श्री, पूर्व अध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा

पूर्व विधान सभा अध्यक्ष, श्री समर्थलाल मीणा का जन्म 01 जनवरी, 1935 को अलवर जिले के ठेकड़ीन ग्राम में हुआ। आपने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.ए. तथा एलएल.बी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री समर्थलाल मीणा चौथी, छठी, सातवीं, दसवीं तथा बारहवीं राजस्थान विधान सभा के लिए राजगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए। आप चौथी विधान सभा में स्वतंत्र पार्टी, छठी विधान सभा में निर्दलीय तथा सातवीं, दसवीं एवं बारहवीं विधान सभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे। श्री मीणा अक्टूबर, 1967 से जून, 1968 तक संसदीय सचिव रहे। इस दौरान आपने राजस्व तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग के दायित्वों का निर्वहन किया। आप जून, 1968 से जुलाई, 1971 तक राजस्थान सरकार के आयुर्वेद एवं

(श्री अध्यक्ष)

यातायात विभागों के उप मंत्री भी रहे। श्री मीणा दसवीं विधान सभा के कार्यकाल के दौरान 04 मई, 1995 से 27 अप्रैल, 1998 तक राजस्थान विधान सभा के उपाध्यक्ष तथा 24 जुलाई, 1998 से 04 जनवरी, 1999 तक अध्यक्ष पद पर आसीन रहे। श्री मीणा ने विधान सभा अध्यक्ष के रूप में सदन में स्वस्थ संसदीय प्रतिमानों की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप प्राक्कलन समिति 'ख' के सदस्य तथा अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के सभापति रहे। आप सभापति तालिका के सदस्य भी रहे।

सरल व्यक्तित्व के धनी श्री मीणा को नए विधान सभा भवन के लोकार्पण के अवसर पर 06 नवम्बर, 2001 को राष्ट्रपति द्वारा वरिष्ठ विधायक के रूप में सम्मानित किया गया।

अपने क्षेत्र में 'गुरुजी' के नाम से लोकप्रिय श्री मीणा क्रय-विक्रय सहकारी समिति, राजगढ़ के अध्यक्ष तथा अलवर के सेंट्रल को-आपरेटिव बैंक एवं भूमि विकास बैंक के संचालक रहे। सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वाले श्री मीणा ने मत्स्य पुराण एवं समाज के अन्य प्रकाशनों में अपना योगदान दिया। आप मीणा समाज के अध्यक्ष भी रहे। आप भारतीय जनता पार्टी, अलवर के जिलाध्यक्ष, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष तथा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे।

श्री समर्थलाल मीणा का दिनांक 07 मई, 2014 को निधन हो गया।

एन. जनार्दन रेड्डी, डा., पूर्व मुख्य मंत्री, आंध्र प्रदेश

आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री डा. एन. जनार्दन रेड्डी का जन्म 20 फरवरी, 1935 को आंध्र प्रदेश के नेल्लूर जिले के वकाडु ग्राम में हुआ। आपने बी.ए., बी.एड. की उपाधियां प्राप्त कीं।

डा. एन. जनार्दन रेड्डी अप्रैल, 1972 में राज्य सभा के सांसद निर्वाचित हुए। आप वर्ष 1978 से 1984 तक आंध्र प्रदेश विधान परिषद् तथा वर्ष 1989 से 1994 तक आंध्र प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे। इस दौरान आप आंध्र प्रदेश सरकार में विभिन्न विभागों के कैबिनेट मंत्री रहे। आप दिसम्बर, 1990 से अक्टूबर, 1992 तक आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री पद पर आसीन रहे। डा. रेड्डी बारहवीं, तेरहवीं तथा चौदहवीं लोक सभा के सांसद निर्वाचित हुए। आप अप्रैल, 2009 तथा जून, 2010 में भी राज्य सभा के

(श्री अध्यक्ष)

सांसद निर्वाचित हुए तथा मृत्यु-पर्यन्त राज्य सभा के सदस्य रहे। आप वर्तमान में भी राज्य सभा के सदस्य थे। डा. रेड्डी आंध्र प्रदेश विधान सभा, लोक सभा तथा राज्य सभा की विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य रहे। आप लोक सभा की वित्त समिति तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस समिति के सभापति भी रहे।

समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता रहे डा. रेड्डी जनजातीय भूमि विनियम के क्रियान्वयन तथा शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति के क्रियान्वयन से सम्बन्धित समितियों के चेयरमैन रहे। खेलों में रुचि रखने वाले डा. रेड्डी को 'पाल हैरिसन फेलो' पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

डा. एन. जनार्दन रेड्डी का दिनांक 09 मई, 2014 को निधन हो गया।

गोपीनाथ मुण्डे, श्री, केन्द्रीय मंत्री

केन्द्रीय मंत्री, श्री गोपीनाथ मुण्डे का जन्म 12 दिसम्बर, 1949 को महाराष्ट्र के बीड जिले की पराली तहसील के ग्राम नाथरा में हुआ। आपने बी.काम. तथा बी.जी.एल. की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री गोपीनाथ मुण्डे वर्ष 1980 से 1985 तथा 1990 से 2009 तक पांच बार महाराष्ट्र विधान सभा के विधायक रहे। श्री मुण्डे वर्ष 1995 से 1999 तक महाराष्ट्र के उप मुख्य मंत्री रहे। आप महाराष्ट्र विधान सभा में प्रतिपक्ष के नेता भी रहे। वर्ष 2009 में मुण्डे पन्द्रहवीं लोक सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। इस दौरान आप कार्य सलाहकार समिति, जन लेखा समिति, वित्त समिति, सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति, आचरण समिति तथा गृह मामलात मंत्रालय की सलाहकार समिति के सदस्य रहे। आप जन लेखा समिति व रसायन एवं उर्वरक समिति के सभापति तथा लोक सभा में प्रतिपक्ष के उप नेता भी रहे। श्री मुण्डे गत दिनों हुए सोलहवीं लोक सभा के चुनावों में बीड निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद निर्वाचित हुए। आपको दिनांक 26 मई, 2014 को वर्तमान केन्द्र सरकार में ग्रामीण विकास मंत्रालय का कैबिनेट मंत्री बनाया गया।

सरल व्यक्तित्व के धनी श्री मुण्डे अपने तीन दशक से अधिक अवधि के राजनीतिक जीवन में सक्रियता के साथ विभिन्न पदों पर रहते हुए दलितों एवं किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे।

(श्री अध्यक्ष)

श्री गोपीनाथ मुण्डे का एक सड़क हादसे में दिनांक 03 जून, 2014 को निधन हो गया।

भुवनेश चतुर्वेदी, श्री, पूर्व केन्द्रीय मंत्री

पूर्व विधायक, श्री भुवनेश चतुर्वेदी का जन्म 02 मई, 1928 को हुआ। आपने एम.ए., एलएल.बी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री भुवनेश चतुर्वेदी पांचवीं राजस्थान विधान सभा में कोटा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक रहे। श्री चतुर्वेदी वर्ष 1982 से 2000 तक तीन बार राज्य सभा में राजस्थान से कांग्रेस के सांसद रहे। राज्य सभा के कार्यकाल के दौरान आप विदेश मामलात समिति एवं रक्षा मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे। आप वर्ष 1993 से 1996 तक राज्य मंत्री के रूप में प्रधान मंत्री कार्यालय से सम्बद्ध रहे। इस दौरान आपने अंतरिक्ष, आणविक ऊर्जा, विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय तथा जम्मू एवं कश्मीर विभाग सम्बन्धी मामलों पर राज्य मंत्री के रूप में प्रधान मंत्री का सहयोग किया।

लगभग 15 वर्षों तक इंडियन काउंसिल आफ वर्ल्ड अफेयर्स, कोटा के मंत्री रहे श्री चतुर्वेदी वर्ष 1957 से 1984 तक प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया, कोटा के प्रतिनिधि रहे। आप हर्बर्ट कालेज छात्र संघ, कोटा के प्रेसिडेंट; नेशनल यूनियन आफ स्टूडेंट आफ इंडिया के वाइस-प्रेसिडेंट; बैंक आफ बड़ौदा के निदेशक तथा बाल हितकारी समिति, कोटा के सचिव रहे। आप मेंटल हैल्थ विधेयक, 1981 पर गठित संयुक्त संसदीय समिति के सभापति तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण की सलाहकार परिषद् के सदस्य रहे। कांग्रेस से सम्बद्ध रहे श्री चतुर्वेदी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के विदेश मामलात विभाग के संयोजक सहित अनेक पदों पर रहे। विदेश मामलों के विशेषज्ञ रहे श्री चतुर्वेदी ने विदेशों में आयोजित अनेक सम्मेलनों एवं संगोष्ठियों में भारत का प्रतिनिधित्व किया।

श्री भुवनेश चतुर्वेदी का दिनांक 02 मार्च, 2014 को निधन हो गया।

गंगाराम चौधरी, श्री, पूर्व मंत्री

पूर्व मंत्री, श्री गंगाराम चौधरी का जन्म 01 मार्च, 1922 को बाड़मेर जिले के खड़ीन ग्राम में हुआ। आपने बी.ए., एलएल.बी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री गंगाराम चौधरी तीसरी से छठी, आठवीं से दसवीं तथा बारहवीं

(श्री अध्यक्ष)

राजस्थान विधान सभा के सदस्य रहे। आप तीसरी से छठी विधान सभा में कांग्रेस, आठवीं विधान सभा में लोक दल, नौवीं विधान सभा में जनता दल, दसवीं विधान सभा में निर्दलीय तथा बारहवीं विधान सभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे। श्री चौधरी तीसरी से छठी विधान सभा में गुढामालानी से, आठवीं एवं दसवीं विधान सभा में बाड़मेर से तथा बारहवीं विधान सभा में चौहटन निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप नियम समिति, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति एवं जन लेखा समिति के सदस्य तथा याचिका समिति एवं सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के सभापति रहे। आप चौथी विधान सभा के कार्यकाल के दौरान राजस्थान सरकार में उप मंत्री तथा नौवीं एवं दसवीं विधान सभा के कार्यकाल के दौरान कैबिनेट मंत्री रहे। श्री चौधरी बारहवीं विधान सभा के प्रोटेम स्पीकर भी रहे। आप मंत्रिमण्डलीय उप समिति के संयोजक तथा भाजपा शासित राज्यों के राजस्व मंत्रियों की समिति के सभापति भी रहे।

अपने सार्वजनिक जीवन में आप पंचायत समिति, धोरीमन्ना के प्रधान तथा जिला परिषद्, बाड़मेर के जिला प्रमुख रहे। कृषकों के उत्थान हेतु निरन्तर प्रयत्नशील रहे श्री चौधरी किसान बोर्डिंग हाउस, बाड़मेर के सचिव तथा संरक्षक रहे। आप जिला भारत सेवक समाज, बाड़मेर के संयोजक तथा जोनल रेलवे (उत्तर) कंसल्टेटिव कमेटी के सदस्य भी रहे।

सरल एवं सौम्य व्यक्तित्व के धनी श्री चौधरी ने ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का प्रचार-प्रसार कर कृषकों को जागरूक बनाने में विशेष योगदान दिया। विधान सभा भवन के लोकार्पण के समय आपको 06 नवम्बर, 2001 को राष्ट्रपति द्वारा वरिष्ठ विधायक के रूप में सम्मानित किया गया।

श्री गंगाराम चौधरी का दिनांक 26 मार्च, 2014 को निधन हो गया।

रूपाराम डूडी, श्री, पूर्व विधायक

पूर्व विधायक श्री रूपाराम डूडी का जन्म 11 नवम्बर, 1949 को नागौर जिले के मण्डूकरा ग्राम में हुआ। आपने सैकण्डरी तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री रूपाराम डूडी ग्यारहवीं तथा तेरहवीं राजस्थान विधान सभा में डीडवाना निर्वाचन क्षेत्र से इंडियन नेशनल कांग्रेस के विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप प्रश्न एवं संदर्भ समिति, राजकीय उपक्रम समिति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के सदस्य रहे।

(श्री अध्यक्ष)

श्री डूडी अपने सार्वजनिक जीवन में लगभग 13 वर्षों तक ग्राम पंचायत मण्डूकरा के सरपंच तथा वर्ष 1993 से 1998 तक जिला परिषद्, नागौर के सदस्य रहे। समाज सेवा में रुचि रखने वाले श्री डूडी ने बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन में अपना योगदान दिया। आप किसान छात्रावास, डीडवाना के संरक्षक भी रहे। कांग्रेस से सम्बद्ध रहे श्री डूडी दल के जिला उपाध्यक्ष तथा राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी रहे।

श्री रूपाराम डूडी का दिनांक 10 मई, 2014 को निधन हो गया।

जितेन्द्र नीनामा, श्री, पूर्व विधायक

पूर्व विधायक, श्री जितेन्द्र नीनामा का जन्म 8 जुलाई, 1947 को बांसवाड़ा जिले की घाटोल तहसील के ग्राम गांगजी का खेड़ा में हुआ। आपने सैकण्डरी तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री जितेन्द्र नीनामा दसवीं राजस्थान विधान सभा में घाटोल निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति के सदस्य रहे।

श्री नीनामा अपने सार्वजनिक जीवन में वर्ष 1977 से 1992 तक ग्राम पंचायत डागल के सरपंच रहे। आप सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक, बांसवाड़ा के उपाध्यक्ष तथा लैम्पस डूंगरिया, बांसवाड़ा के अध्यक्ष रहे।

श्री जितेन्द्र नीनामा का दिनांक 4 मई, 2014 को निधन हो गया।

हीरालाल आर्य, श्री, पूर्व विधायक

पूर्व विधायक, श्री हीरालाल आर्य का जन्म 5 जुलाई, 1945 को कोटा जिले के इटावा में हुआ। आपने एम.ए. तथा बी.ए. की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री हीरालाल आर्य छठी, सातवीं, आठवीं तथा नौवीं राजस्थान विधान सभा में पीपल्दा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए। आप छठी विधान सभा में जनता पार्टी तथा सातवीं, आठवीं तथा नौवीं विधान सभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप गृह समिति, पुस्तकालय समिति, प्राक्कलन समिति 'ख', अनुसूचित जनजाति कल्याण तथा अनेक विभागों की संसदीय परामर्शदात्री समितियों के सदस्य रहे। श्री आर्य विशेषाधिकार समिति के सभापति भी रहे।

वर्ष 1970 से 1977 तक शिक्षक रहे श्री आर्य को राजस्थान शिक्षक

(श्री अध्यक्ष)

संघ द्वारा आदर्श शिक्षक के रूप में सम्मानित किया गया। अध्ययन के दौरान छात्र संघ में विभिन्न पदों पर रहे श्री आर्य तहसील शिक्षक संघ के मंत्री रहे। आप राजस्थान शिक्षक संघ साधना आश्रम, कोटा से भी जुडे रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से सम्बद्ध रहे श्री आर्य भारतीय जनता पार्टी तथा प्रदेश मंत्री तथा अनुसूचित जाति मोर्चा के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय मंत्री भी रहे।

श्री हीरालाल आर्य का दिनांक 18 दिसम्बर, 2013 को निधन हो गया।

लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत, श्रीमती, पूर्व विधायक

पूर्व विधायक, श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत का जन्म 24 जुलाई, 1916 को उदयपुर जिले के देवगढ़ में हुआ।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत तीसरी, चौथी और सातवीं राजस्थान विधान सभा में भीम निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस की विधायक रहीं। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप पुस्तकालय समिति तथा राजस्थान नहर परियोजना, उपनिवेशन, पर्यटन, कला, संस्कृति एवं पुरातत्व विभागों की संसदीय परामर्शदात्री समिति की सदस्या रहीं। आप पुस्तकालय समिति तथा प्राक्कलन समिति की सभापति भी रहीं। श्रीमती चूण्डावत वर्ष 1972 से 1978 तक राज्य सभा की सदस्या रहीं।

राजस्थानी भाषा की प्रतिष्ठित साहित्यकार रहीं श्रीमती चूण्डावत ने 'मूमल', 'राजस्थान के रीति-रिवाज', 'अंतरध्वनि', 'हिन्दुकुश के उस पार' तथा 'देवनारायण बगड़ावत महागाथा' जैसी कृतियों के माध्यम से राजस्थानी साहित्य, लोक जीवन एवं रीति-रिवाजों को नई ऊंचाइयां प्रदान कीं। साहित्य की सभी विधाओं पर लिखते हुए आपने राजस्थानी भाषा को गौरव प्रदान किया। राजस्थानी साहित्य में उल्लेखनीय योगदान के लिये आपको वर्ष 1984 में 'पद्मश्री' तथा वर्ष 2012 में 'राजस्थान रत्न' सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। श्रीमती चूण्डावत राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी, राजस्थान ललित कला अकादमी, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी तथा राजभाषा क्रियान्वयन समिति की सदस्या रहीं।

कांग्रेस से सम्बद्ध रहीं श्रीमती चूण्डावत अखिल भारतीय कांग्रेस (आई) समिति की सदस्या तथा राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा रहीं। आप

(श्री अध्यक्ष)

राजस्थान विश्व शांति परिषद, राजस्थान भारत-सोवियत मैत्री संघ तथा राजस्थान प्रगतिशील लेखक संघ की अध्यक्षा भी रहीं। श्रीमती चूण्डावत ने ताशकंद, हेलसिंकी, मास्को, आस्ट्रेलिया और मिस्र में आयोजित विभिन्न सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत का दिनांक 24 मई, 2014 को निधन हो गया।

बंशीलाल सारस्वत, श्री, पूर्व विधायक

पूर्व विधायक, श्री बंशीलाल सारस्वत का जन्म 4 दिसम्बर, 1927 को नागौर जिले के देऊ ग्राम में हुआ। आपने बी.काम. तथा एल.एल.बी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री बंशीलाल सारस्वत छठी राजस्थान विधान सभा में नागौर से जनता पार्टी के विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप जन लेखा समिति तथा राजस्थान विश्वविद्यालय अध्यापक तथा अधिकारी (सेवा की विशेष शर्तें) (संशोधन) विधेयक, 1978 पर गठित प्रवर समिति के सदस्य रहे। आप विधान सभा में जनता पार्टी के सचेतक भी रहे।

साहित्य एवं लेखन में रुचि रखने वाले श्री सारस्वत नागौर नागरिक संघ के अध्यक्ष भी रहे।

श्री बंशीलाल सारस्वत का दिनांक 26 फरवरी, 2014 को निधन हो गया।

लादूराम सुलानिया, श्री, पूर्व विधायक

पूर्व विधायक, श्री लादूराम सुलानिया का जन्म 25 अप्रैल, 1925 को जयपुर जिले के बोराज ग्राम में हुआ। आपने हिन्दी भाषा रत्न की उपाधि प्राप्त की।

श्री लादूराम सुलानिया दूसरी विधान सभा में दूदू निर्वाचन क्षेत्र से राम राज्य परिषद तथा चौथी विधान सभा में फागी निर्वाचन क्षेत्र से स्वतंत्र पार्टी के विधायक रहे। विधान सभा में आप अपने क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के लिये सदैव प्रयत्नशील रहे। श्री सुलानिया वर्ष 1961 में जयपुर जिला जनसंघ के अध्यक्ष भी रहे।

श्री लादूराम सुलानिया का दिनांक 7 मई, 2014 को निधन हो गया।

(श्री अध्यक्ष)

रामनारायण वर्मा, श्री, पूर्व विधायक

पूर्व विधायक, श्री रामनारायण वर्मा का जन्म 15 जून, 1922 को कोटा जिले के नापाहेड़ा ग्राम में हुआ। आपने सुल्तानपुर में शिक्षा प्राप्त की।

श्री रामनारायण वर्मा दूसरी राजस्थान विधान सभा में पीपल्दा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनसंघ के विधायक रहे। विधान सभा में आप अपने क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिये सदैव प्रयत्नशील रहे।

श्री वर्मा अपने सार्वजनिक जीवन में वर्ष 1965 से 1977 तक पंचायत समिति, सुल्तानपुर के प्रधान रहे। मीना जाति के सामाजिक उत्थान के लिये प्रयत्नशील रहे श्री वर्मा मीना क्षेत्रीय नवयुवक मण्डल, हाड़ौती के कोषाध्यक्ष रहे। आपने पिछड़े वर्ग के लोगों में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिये कई सम्मेलनों का आयोजन किया।

श्री रामनारायण वर्मा का दिनांक 9 जून, 2014 को निधन हो गया।

मैं अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से दिवंगतों के प्रति शोक प्रकट करते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं तथा दिवंगत महानुभावों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत व्यक्तियों की आत्मा को शान्ति प्रदान करे तथा उनके शोक संतप्त परिजन को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पर घटित हादसे में मृत 24 अभियांत्रिकी छात्र-छात्राएं

दिनांक 8 जून, 2014 को हिमाचल प्रदश के मण्डी जिले के थलोट गांव के निकट ब्यास नदी के किनारे हुए दुःखद हादसे में हैदराबाद के एक इंजीनियरिंग कालेज के 24 छात्र अचानक नदी का जल स्तर बढ़ जाने के कारण बह गये। ये युवा पर्यटन के लिए हिमाचल प्रदेश का भ्रमण करने आये थे।

मैं इस हादसे में मारे गये छात्रों की मृत्यु पर भी शोक प्रकट करता हूं तथा पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं।

(श्री अध्यक्ष)

मानानीय सदस्यगण, कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगतों की आत्मा की शांति के लिये प्रार्थना करें।

(तदनन्तर सदन ने दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की)

(श्री सुखराम विश्नोई, माननीय सदस्य का सदन कूप में आगमन-धरना)

सदन की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 14 जुलाई, 2014 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की बैठक 11.38 बजे सोमवार, दिनांक 14 जुलाई 2014 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)